न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 23/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2010/00038

उनवान

1. गोविन्द
2. प्रभुदयाल
3. गिरधारीलाल
4. देवेन्द्र कुमार
} पुत्रान टीकाराम

5. श्रीमती शीला देवी वेवा
6. नरेन्द्र कुमार
7. जितेन्द्र
} पुत्रान
8. श्रीमती वेवी उर्फ विमलेश पुत्री
} दामोदरलाल

9. घनश्याम पुत्र गोरखी(मृतक)
   9/1. नारायण
   9/2. छैलबिहारी
   9/3. कृष्ण कन्हैया
   } पुत्रगण घनश्याम
   9/4. सावित्री पत्नी घनश्याम
   9/5. नर्वदा
   9/6. मीना
   9/7. गौमती
   9/8. पूनम
   9/9. राजकुमारी
   9/10. मंजू
   } पुत्रीयाँ घनश्याम

} जाति ब्राहम्ण निवासी ऑधियारी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

....................अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र किरोड़ी लाल (मृतक)
   1/1. मुकेश
   1/2. अम्बेश
   } पुत्रान स्व0 जगदीश जाति ब्राहम्ण नि0 तिवारी सदन अनाह गेट बजरिया,भरतपुर
   1/3. रामश्री पत्नी जगदीश।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र किरोड़ीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सीतला गली आगरा
3. पन्ना
4. मिश्री
} पुत्रान बालाबक्स जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी ऑधियारी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
5. लक्ष्मीनारायन
6. विशनलाल
7. शिवचरन
8. देवेन्द्र
} पुत्रान किशनलाल जाति बागरी ब्राहम्ण नि0 ऑधियारी तह0 उच्चैन जिला भरतपुर
9. श्रीमती नन्दा देवी पुत्री किशनलाल पत्नी नामालूम निवासी दिल्ली
10. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री किशनलाल पत्नी नामालूम निवासी दाहिना गॉव तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
11. गिर्राज पुत्र शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ऑधियारी तहसील उच्चैन।
12. मोहन
13. कुंवरपाल
} पुत्रान मनसुखी जाति कंडेरा नि0 ऑधियारी तहसील उच्चैन।
14. कुन्जीलाल
15. मूलचन्द
16. भूदेव
} पुत्रान झीना जाति खाती नि0 ऑधियारी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17. रेवती
18. हरी
19. समन्दर
20. बहादुर

पुत्रान पन्नी जाति जाटव निवासी अॅधियारी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :— 24/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र गोरधनलाल(मृतक)
   1/1. जगन्नाथ
   1/2. अमर
   1/3. खैमचन्द
   (पुत्रान बाबूलाल)
   1/4. भगवानदेई पत्नी बाबूलाल
2. द्वारिका प्रसाद
3. रमेशचन्द
   (पुत्रान गोरधनलाल)

जाति वैश्य निवासी अॅधियारी सबतह0 उच्चैन, भरतपुर

.........................अपीलाण्ट

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र किरोडी लाल(मृतक)
   1/1. मुकेश
   1/2. अम्बेश
   पुत्रान स्व0 जगदीश जाति ब्राहम्ण नि0 तिवारी सदन अनाह गेट बजरिया भरतपुर।
   1/3. रामश्री पत्नी जगदीश
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र किरोडीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सीतला गली आगरा
3. पन्ना
4. मिश्री
   पुत्रान बालाबक्स जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी अॅधियारी तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।
5. लक्ष्मीनारायन
6. विशनलाल
7. शिवचरन
8. देवेन्द्र
   पुत्रान किशनलाल जाति बागरी ब्राहम्ण नि0 अॅधियारी तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।
9. श्रीमती नन्दा देवी पुत्री किशनलाल पत्नी नामालूम निवासी दिल्ली।
10. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री किशनलाल पत्नी नामालूम निवासी दाहिना गॉव तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
11. गिर्राज पुत्र शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी अॅधियारी तह0 उच्चैन।
12. मोहन
13. कुंवरपाल
   पुत्रान मनसुखी जाति कढेरा निवासी अॅधियारी तहसील उच्चैन।
14. कुंजीलाल
15. मूलचन्द
16. भूदेव
   पुत्रान झीना जाति खाती निवासी अॅधियारी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
17. रेवती
18. हरी
19. समन्दर
20. बहादुर
   पुत्रान पन्नी जाति जाटव नि0 अॅधियारी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 07.05.2010 प्रकरण संख्या 33/09 उनवान टीकाराम उर्फ टीकमराम वगै0 बनाम जगदीश प्रसाद, 32/09 उनवानी बाबूलाल बनाम जगदीश वगै0 न्यायालय सहायक कलकटर, उच्चैन।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–03.07.2018

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 07.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो के तथ्य एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा सख्या 33/2009 बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम अँधियारी में अपीलाण्ट/वादीगण के कब्जे–काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 260 रकवा 02 बीघा 01 विस्वा व 261 रकवा 14 विस्वा किता 02 कुल रकवा 02 बीघा 15 विस्वा को अपीलाण्ट/वादीगण संवत 2012 के पूर्व से निरन्तर अब तक काश्त करते हुए चले आ रहे हैं एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर अपीलाण्ट/वादीगण को इस आराजी पर हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार कभी नहीं रहा है एवं ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट/वादीगण की लाइल्मी में राजस्व कर्मचारीगण की मिल्लत से संवत 2015 तक रैस्पो0/प्रतिवादी के पिता मनसुखी एक बैल, नंदले पुत्र रामलाल एल बैल, झीना एक बैल, पन्नी एल बैल का इन्द्राज खिलाफ मौका व कब्जा काश्त तथा कानून दर्ज कर दिये। उक्त गलत इन्द्राजों के बल पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण, अपीलाण्ट/वादीगण के कब्जा काश्त को बदनीयती पूर्वक जबरन हथियाने की गरज से आये दिन धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के निस्फ हिस्से में खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने तथा रैस्पो0/प्रतिवादीगण के गलत इन्द्राजों को कलमजद करते हुए, स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. दूसरा वाद संख्या 32/2009, अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 1469/251 रकबा 03 बीघा 01 विस्वा को लेकर बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी, अपीलाण्ट/वादीगण की संवत 2012 से पूर्व खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी रही है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर अपीलाण्ट/वादीगण को विवादित आराजी में खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु राजस्व अभिलेख में रैस्पो0/प्रतिवादीगण के नाम खिलाफ मौका, कब्जा काश्त तथा कानून कर दिये गये हैं। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण, अपीलाण्ट/वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी को जबरन हडपना चाहते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में हो रहे रैस्पो0/प्रतिवादीगण के गलत इन्द्राजों को कलमजद कर, अपीलाण्ट/वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिये। उक्त दोनों निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2010 के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 23/2010 गोविन्द बनाम जगदीश प्रसाद तथा 24/2010 उनवान बाबूलाल बनाम जगदीश इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

5. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट संवत 2026 की जमाबन्दी से विवादित आराजी पर बतौर शिकमी की हैसियत से काश्तकार दर्ज हैं। अतः अपीलाण्ट स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाते हैं अन्य किसी प्रकार के तथ्य इसमें आडे नहीं आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को इसी बिन्दु पर ही दावा अपीलाण्ट के हक में डिक्री कर देना चाहिए था। विवादित भूमि पर अपीलाण्ट के संवत 2015 लगायत 2034 तक रिकार्ड ऑफ राईट्स में शिकमी के इन्द्राजात पत्रावली पर मौजूद हैं तथा दावा दायरी सन् 1986 तक अपीलाण्ट का कब्जा 12 साल से ज्यादा समय का हो गया था तथा रैस्पो0 ने उन्हें दावा दायरी की दिनांक से पूर्व कभी भी बेदखली की कार्यवाही नहीं की ना ही शिकमी इन्द्राजात को हटाने की कार्यवाही की एव ना ही अन्य प्रकार से अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में अडचन या आपत्ति की। अतः दावा दायर करने के दिन रैस्पो0 का अपीलाण्ट को बेदखल करने की अवधि समाप्त हो गई व उनके जो कुछ भी अधिकार भूमि में थे; कानूनन स्वतः ही धारा 63 के तहत समाप्त हो गये। ऐसी स्थिति में सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट का दावा डिक्री करने के अलावा अन्य कोई कानूनी आधार नहीं था। फिर भी धारा 45–46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का हवाला देकर शिकमी के इन्द्राजात को अवैधानिक मानकर कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि ट्रैसपासर का भी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार हैं। यदि न्यायालय धारा 45–46 के आधार पर अपीलाण्ट को ट्रैसपासर माने तो भी 40 साल से ज्यादा समय के कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट खातेदार हो जाते हैं। अतः दोनों अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर एवं प्रत्येक तनकी का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवेचना की जाकर विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया है। रैस्पो0 राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सो के अनुससार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से निरन्तर खातेदार काश्तकार काबिज आराजी चले आ रहे हैं व अपने–अपने हिस्से का राजस्व लगान अदा करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी में शिकमी का इन्द्राज खिलाफ मौका व खिालफ कानून है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी को अपीलाण्ट को कभी भी काश्त के लिये नहीं दिया एवं ना ही रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के पक्ष में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काश्त करने की सहमति ही दी है। विवादित आराजी से अपीलाण्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1987 पेज 202(एच.सी.), सितम्बर 2001 पेज 411, 1992 पेज 598, 1999 पेज 103, 1977 पेज 115, 1987 पेज 492, आरबीजे(9) 2002 पेज 300 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर संवत 2012 से पूर्व का कब्जा काश्त बताते हुए एवं विवादित आराजी में शिकमी के इन्द्राजात के आधार पर स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का दावा करते हैं। रैस्पो0 उक्त तथ्य का खण्डन करते हुए, स्वयं को संवत 2012 के पूर्व से काबिज खातेदार काश्तकार बताते हुए, अपीलाण्ट के शिकमी इन्द्राजों को राजस्व कर्मचारियों की साज से अवैध दर्ज किया जाना कथन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों दावो एवं जवाब दावो के आधार पर अनुतोष सहित 7 तनकियॉ कायम की गई हैं, जिनमें तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट/वादी के वाद को साबित करने के लिये महत्वपूर्ण है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैं :–

9. <u>तनकी संख्या 01</u> **" आया विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 01, वादपत्र के वादीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं"** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2010 व जमाबन्दी संवत 2014–17 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि रैस्पो0 के पूर्वज संवत 2010 में गैर मौरूसी दर्ज हैं व संवत 2014–17 की जमाबन्दियों में गैर खातेदार दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में इनके अतिरिक्त अन्य किसी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है एवं ना ही अपीलाण्ट का ही किसी भी हैसियत से कोई इन्द्राज हैं। इससे साबित होता है कि संवत 2012 से पूर्व व संवत 2012 में भी विवादित आराजी पर रैस्पो0 का ही कब्जा काश्त रहा है। राजस्व रिकार्ड के साथ सत्य की अवधारणा होती है, जब तक कि उसको अन्यथा साबित नहीं किया जाता है। जहां तक अपीलाण्ट के शिकमी के इंद्राजों का प्रश्न है, शिकमी काश्त के बाबत् कोई अनुबंध तथा शिकमी के आधार पर खातेदारी हेतु वांछित दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं ना ही उनके द्वारा भू राजस्व की कोई रसीद, खसरा गिरदावारी आदि ही पेश की हैं, जिससे विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त साबित होता हो। अतः तनकी वहक रैस्पो0 सिद्ध होती है।

10. <u>तनकी संख्या 02 लगायत 06</u>, तनकी संख्या 01 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी 1 अपीलाण्ट/वादीगण के विरुद्ध निर्णित हुई है। अतः तनकी 02, 03, 04 व 06 भी अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर अपीलाण्ट/वादीगण के खिलाफ निर्णित की है।

11. <u>अनुतोष</u> – उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

12. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2010 यथावत रखें जाते हैं। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13. निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official